सत्यमेव जयते

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

शुभम चौधरी (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS प्रकरण संख्या	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
25/2025	2025/50	02.04.2025	19.05.2026

श्री सरकार जरिये तहसीलदार प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ (राज0)

—: प्रार्थी

—: बनाम :—

1. श्री अर्जुन पुत्र हजारी लाल कुम्हार निवासी थडा तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्रीमती कृष्णा पत्नि अर्जुन कुम्हार निवासी थडा तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.)

—: अप्रार्थी/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत् विरुद्ध आवंटन मिशल नं. 98 दिनांक 24.12.2021 के संबंध में।

उपस्थिति :—
1. श्री पैरोकार सरकार
2. श्री भूपेन्द्र सिंह राव अधिवक्ता (अप्रार्थी/विपक्षीगण)

—: आदेश :— दिनांक 19.05.2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत् विरूद्ध आवंटन मिशल नं. 98 दिनांक 24.12.2021 के संबंध में निम्न प्रकार प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राजस्व थडा पटवार मण्डल थडा के खसरा नम्बर 1379/635 रकबा 0.02 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण के नाम से श्रीमान उपखण्ड़ अधिकारी/प्रभारी अधिकारी महोदय प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक 98 दिनांक 24.12.2021 से आवंटित की गई है जिसके आधार पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 1318 दिनांक 12.01.2022 से उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में आवंटीगण के नाम गैर—खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

जबकि उक्त आवंटित भूमि ग्रामीण सड़क थडा—लालपुरा के अराजी नम्बर 671 से लगी हुई है। जबकि राजस्थान भू—राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 4(V)(च) के अनुसार किसी भी सड़क के मध्य से 45 मीटर दुरी तक आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त आवंटन में स्पष्ट रूप से नियम 4(V)(च) का

उल्लघंन हुआ है तथा इस आवंटन के संबंध में जिला कलक्टर महोदय प्रतापगढ़ स्तर से गठीत जांच कमेटी द्वारा उक्त आवंटन को प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी आधार निरस्त योग्य बताया गया है। इस संबंध में रिपोर्ट हल्का पटवारी मय राजस्व रिकार्ड के साथ आवंटन निरस्ती हेतु प्रस्तावित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी/विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील रिपोर्ट आवंटीगण स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह राव मय वकालतनामा उपस्थित हुए जिसके आधार पर बहस अन्तिम उभय पक्ष प्रार्थी (पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार प्रतापगढ़) एवं अधिवक्ता अप्रार्थी/आवंटीगण प्रार्थना पत्र नियम 14(4) मौखिक सूनी गई तथा उभयपक्ष के निवेदन अनुसार लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। जिसके आधार पर उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस पत्रावली पर प्रस्तुत की गई जो शामील पत्रावली है।

पत्रावली में दौराने बहस प्रार्थी (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये गये कि अप्रार्थी/आवंटीगण को आवंटीत भूमि आम रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा है तथा उक्त भूमि आवंटन प्रकरण के दौरान आवंटन हेतु जारी उद्घोषणाएं तथा अन्य आवंटन प्रक्रियात्मक कार्यवाहियों का समुचित पालना नहीं किया है तथा उक्त आवंटन प्रकरणों के संबंध में विविध स्तर पर प्रस्तुत शिकायत पत्रों के आधार पर जिला कलक्ट्रर महोदय स्तर से गठीत जांच कमेटी द्वारा भी उक्त आवंटनों को प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी आधारों पर अवैध माना गया है। इस संबंध में लिखित बहस निम्न प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व ग्राम थड़ा पटवार हल्का थड़ा तहसील प्रतापगढ की बिलानाम आराजी नम्बर 635 रकबा 0.7500 हैक्टर में सें आवंटी श्री अर्जुन पुत्र हजारी, कृष्णा पत्नि अर्जुन कुम्हार को रकबा 0.0200 हैक्टर भूमि आवंटित की गई जिसका नामांतरण संख्या 1318 दिनांक 12.01.2022 दर्ज होकर नवीन आराजी नम्बर 1379/635 रकबा 0.0200 हैक्टर बना है। जिसे निरस्ती हेतु प्रार्थी पैरोकार सरकार (तहसीलदार) की ओर से लिखित बहश निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है।

1. यह कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 4 (4) के अनुसार आवंटित राजस्व ग्रामों के आबादी से समीप अथवा लगी हुई, छोटे बाड़ों, खलियानों के लिए आरक्षित तथा उपनियम 6 (1) के अनुसार आवंटित भूमियों के राजस्व ग्रामों के आबादी के अनुपात में राज्य सरकार के परिपत्र 01.06. 1983 के अनुसार वांछित आबादी विस्तार एवं सार्वजनिक उपयोग उपभोग हेतु आरक्षित भूमि रकबा क्षेत्र की परिकल्पना किये बिना राजस्व ग्राम में उपलब्ध राजकीय बिलानाम रकबों को आवंटन हेतु प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, जो किया गया है, जो नियम विरूद्ध होने से आवंटन खारीज योग्य है।
2. यह कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 4 (4) (च) के अनुसार एवं राज्य सरकार के परिपत्र 13.06.2007 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला रोड़, अन्य जिला रोड़ तथा ग्रामीण सड़के जिनके लिए नियंत्रण रेखा के मध्य से क्रमशः 150, 100, 35 एवं 30 मीटर को

छोड़कर भूमि आवंटन की जानी चाहिए थी, जिसकी पालना नहीं की गई। आवंटी को ग्रामीण सड़क थड़ा से लालपुरा पर स्थित भूमि आवंटन की गई। जो नियम विरूद्ध होने से आवंटन खारीज योग्य है।

3. यह कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 6 (2) (क क) के अनुसार आवंटन के लिए प्रस्तावित अनाधिवासित भूमि का आवंटन कर देने के पश्चात उन पर आवंटियों को पहुंचने हेतु रास्ते का आरक्षण करना चाहिए तथा प्रस्तावित रास्ते के नक्शे के साथ खसरा नम्बर अंकित कर ऐसे आरक्षण पर सलाहकार समिति की सहमति प्राप्त कर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को औपचारिक आरक्षण आदेश पारित करने हेतु प्रेषित की जानी चाहिए। जिसकी पालना नहीं की गई, जो नियम विरूद्ध होने से आवंटन खारीज योग्य है।

4. यह कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 5 (1) के अनुसार राजस्व ग्रामों में आवंटन हेतु उपलब्ध कृषि योग्य अनाधिवासित भूमियों की सूची प्रारूप एक में तैयार की जानी थीं। जो नहीं की गई केवल अतिक्रमित भूमियों को ही आवंटन हेतु उदघोषणा में दिया गया जो नियम विरूद्ध होने से आवंटन खारीज योग्य है।

5. यह कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 5 (2) के अनुसार तैयार सूचियॉ उदघोषणा प्रकाशन से पूर्व जिला वन अधिकारी को भेजी जाकर उक्त भूमि आरक्षित वन क्षेत्र या उसके लिए कोई अधिसूचना में अधिसूचित है या नही जिसके सम्बंध में जिला वनअधिकारी की टिप्पणी आने के बाद अनाधिवासित भूमि को आवंटन हेतु उदघोषणा में देना चाहिये था, तथा ग्राम में आबादी एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित योग्य भूमियों की सूची श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को उपलब्ध कराई जानी थी। जो नहीं कराई गई, जो नियम विरूद्ध होने से आवंटन खारीज योग्य है।

6. यह कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 6 (2)(ग) के अनुसार ग्राम की शिक्षण संस्थाओं एवं सार्वजनिक प्रयोजन हेतु पर्याप्त भूमि नहीं होने पर नियमानुसार आवश्यक भूमि छोड़कर आवंटन किया जाना चाहिए, जो नहीं किया, जो नियम विरूद्ध होने से आवंटन खारीज योग्य है।

7. यह कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 7 (क) नियम 6 में यथा उपदर्शित कार्यवाहीयों की अनुपालना किये बिना ही वास्तविक भूमिहीन किसानों के आवंटन आवेदन आमंत्रित किये बिना ही अधिनियम की धारा 61 में विहित रीती के उदघोषणाओं का केवल रिकॉर्ड पर प्रकाशन दर्शित किया गया है, जबकि सार्वजनिक स्थलों, ग्राम पंचायत, तहसील, जिला आदि स्थलों पर उदघोषणा की गई भूमि की सूची चस्पा कर आवेदन आमंत्रित किये जाने चाहिए थे, जो नही किये जाकर गुपचुप तरीके से केवल अतिक्रमियों के ही आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए एवं अतिक्रमियों को ही भूमि आवंटन किया गया, जो नियम विरूद्ध होने से आवंटन खारीज योग्य है।

8. यह कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 8 (2) (आवंटन के लिए आवेदन) आवेदन पत्रों का दीवानी प्रकिया संहिता 1908 के अधीन वाद पत्र की तरह सत्यापन नहीं किया गया है। जो नियम विरूद्ध होने से आवंटन खारीज योग्य है।

9. यह कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के अनुसार अनाधिवासित भूमियों को ही आवंटन हेतु उदघोषणा में दिया जाना चाहिए था, परंतु अतिकमित भूमियों की ही उदघोषणा जारी की गई तथा अतिकमियों को ही भूमि आवंटित की गई, जो नियम विरूद्ध होकर आवंटन निरस्त योग्य है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.12.2021 एवं दिनांक 10.01.2013 के अनुसार अतिकमित भूमियों का नियमन किया जाना चाहिए था। परंतु अतिकमियों को ही भूमि आवंटन करने से लोगो में अतिक्रमण करने की भावना बढती है एवं अतिक्रमण को बढावा मिलता है। जो नियम विरूद्ध होने से आवंटन खारीज योग्य है।

10. यह कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 9 (आवेदन पत्रों का रजिस्ट्रार एवं पंजीकरण) के अनुसार तत्कालिन उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र पर आवेदन प्राप्ति की तारीख एवं समय अभिलिखित की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई तथा उक्त प्राप्त आवेदनों के सन्दर्भ में पृथक से कोई पंजिका संधारित की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई। जो नियम विरूद्ध होने से आवंटन खारीज योग्य है।

11. यह कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 10 (आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच) एवं नियम 11 (3) के अनसुार आवंटन के लिए पात्रता तथा प्राथमिकताएँ हेतु विहित प्रावधानों की समुचित पालना नहीं की गई तथा अतिक्रमित भूमियों की ही उदघोषणा जारी की गई एवं अतिक्रमियों को ही भूमि आवंटित की गई, जो नियम विरूद्ध होकर आवंटन निरस्त योग्य है।

12. यह कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 19 (2) ऐसी छोटी पट्टी अथवा खण्ड जो एक से अधिक खातेदार आसामियों के खेतों के साथ लगी हुई हो, ऐसी पट्टी या खण्ड के आवंटन के लिए ऐसे आसामियों में से एक से अधिक के द्वारा आवेदन करने पर भूमि को निलाम किया जाकर उच्चतम बोली लगाने वाले को दी जानी चाहिए थी परंतु नियम विरूद्ध छोटे–छोटे टुकड़ों में भूमि आवंटन की गई, जिससे राजस्व हानि हुई है। जो नियम विरूद्ध होने से आवंटन खारीज योग्य है।

अतः उक्त प्रकरण में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियमों के प्रावधान अनुसार आवंटन नियमों की पालना नहीं होने से उक्त आवंटन निरस्त योग्य है।

इसी क्रम में अधिवक्ता अप्रार्थी/आवंटीगण द्वारा दौराने बहस प्रार्थी/पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों का खण्ड़न करते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटीगण के पक्ष में किया गया आवंटन उचित और नियमानुसार है तथा

उक्त आवंटित भूमि पर आवंटीगण का सतत् कब्जा–काश्त होने तथा लगातार धारा 91 की कार्यवाही होने के आधार पर आवंटन किया गया है जो शिकायत प्रार्थना पत्र बाबत् आवंटन प्राप्त हुए है उक्त शिकायतें शहर प्रतापगढ़ के 5 किमी में किये गये आवंटनों के विरूद्ध हुई है जबकि आवंटीत भूमि राजस्व ग्राम थडा शहर मुख्यालय से लगभग 23 किमी दुरी पर स्थित है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन और लिखित बहस उभय पक्ष पर मनन किया जाने एवं प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड दस्तावेज के साथ साथ प्रश्नगन भूमि आवंटन प्रकरणों के संबंध में गठीत जांच कमेटी की रिपोर्ट आधार पर ज्ञात हुआ कि प्रकरण में आवंटित भूमि राजस्व ग्राम थडा की आराजी संख्या 1379/635 रकबा 0.02 हैक्टर मूल आराजी संख्या 635 रकबा 0.75 हैक्टर में से अप्रार्थी/आवंटीगण को संयुक्त रूप से प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021–22 के दौरान जरिये मिशल संख्या 98 दिनांक 24.12.2021 के द्वारा आवंटित की गई है तथा उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 1318 दिनांक 12.01.2022 के अनुसार आवंटीत भूमि रकबा अप्रार्थी/आवंटीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से 1/2 –1/2 हक हिस्सा अनुसार दर्ज की गई है।

देखने रिकार्ड आवंटन मिशल सत्यापित प्रति आवंटन आवेदन प्रारूप–3 (नियम 8) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101 के अन्तर्गत अनाधिवासित राजकीय भूमि का आवंटन हेतु प्रस्तावित प्रपत्र वास्तविक रूप से कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 8 एवं 9 (2) में विहित प्रावधानों अनुसार आवेदन पत्र विहित रिति से सत्यापन एवं पंजीकृत किये जाने का अभाव पाया गया है। साथ ही प्रकरण में प्रस्तावित भूमि के पूर्व से आवंटी के कब्जा काश्त में होना अप्रार्थी/आवंटी स्वयं द्वारा इस कथन को स्वीकार किया गया है। आवंटीगण को आवंटीत भूमि से लगती हुई होना प्रार्थी/पेरोकार सरकार तथा आवंटी की ओर से प्रस्तुत बहस में भी स्वीकार किया गया है।

जबकि प्रचलित विधियों अनुसार सड़क सीमा की भूमियों का आवंटन निषेध माना गया है इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जरिये परिपत्र दिनांक 13.06.2007 के द्वारा प्रत्येक सड़क मार्ग हेतु ROW निर्धारित किया गया है। जिससे साबित होता है कि प्रकरण में आवंटीत विवादित भूमि का आवंटन अवैध प्रकृति का है। साथ ही प्रश्नगत आवंटन से संबंधित आवंटन कार्यवाही के दौरान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत् निर्धारित प्रक्रियाओं (नियम 4 से लगायत 19 तक) की समुचित पालन नहीं किया जाना जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 12.04.2024 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021–22 के दौरान किये गये आवंटनों के संबंध में जिला कलेक्टर कार्यालय प्रतापगढ़ एवं विविध स्तरों पर प्रस्तुत शिकायत पत्रों एवं उक्त क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रेषित जांच कार्यवाही पत्रांकों की अनुसरण में जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट आधार पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार

उक्त आवंटन प्रकरणों की समुचित समीक्षा के साथ आवंटीगण को सूनवाई का अवसर प्रदान करने के साथ नियम 14(4) के तहत् कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होना और बाद समुचित सूनवाई से प्रश्नगत् आवंटन का अवैध होना प्रमाणित होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/पेरोकार सरकार अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर विवादित आवंटन आदेश मिशल संख्या 98 दिनांक 24.12.2021 के साथ निष्पादित विवादित नामान्तरकरण संख्या 1318 दिनांक 12.01.2022 को निरस्त करते हुए आवंटी की गैर–खातेदारी को विलोपित की जाकर आवंटित राजस्व ग्राम थड़ा आराजी संख्या 1379/635 रकबा 0.02 हैक्टर भूमि को पूनः राजसात कर राजस्व रिकार्ड में पूर्ववत् बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.05.2026 को सरे इजलास सुनाया जाकर लिखाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़